

14.25 hrs.

SPECIAL COURTS (REPEAL) BILL

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH) :
Sir, I beg to move:

“That the Bill to repeal the Special Courts Act, 1979, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration”.

While moving this Bill, I would like to say that this Act was brought on the Statute Book by the Janata Party Government not only with the object to denigrate and to wreak vengeance against our Prime Minister, but to eliminate her from the political scene. Her expulsion from the Lok Sabha and her imprisonment are clear proof of the revengeful attitude. But our leader and our Party do not want to follow the Janata Party example and we do not want to use this Special Courts Act to take vendetta against our political opponents.

Sir, the ostensible object of the Special Courts Act is to secure speedy trial of certain classes of offences as would appear from the preamble to the Act, but because of numerous difficulties, both from the legal and administrative angles, which can arise in its implementation, the Act would not be able to achieve this objective.

Firstly, the writ jurisdiction of the High Court remains and if a litigant chooses to resort to such a course, there will be prolonged and protracted proceedings. Secondly, the power of superintendence of the High Court also remains. Serious difficulties can arise if a sitting Judge nominated by the Chief Justice were to decline to act as a Judge of the Special Courts. An embarrassing situation would thus result and an unhealthy controversy affecting the prestige of judiciary could arise. I would like to quote

here what Justice Shingal said, when the matter had been referred to the Supreme Court for the opinion by the previous Government. I quote:

“It will not however be permissible or proper to appoint a ‘sitting’ Judge of a High Court to preside over a Special Court which is lesser or inferior to the High Court. In all probability “sitting’ Judges of High Courts will refuse to serve as presiding Judges of the Special Courts, and there is no provision in the Constitution under which they can be compelled or ordered against their will to serve there. The eventuality will make the provisions of the Bill unworkable even if it were assumed for the sake of argument that they are otherwise valid and Constitutional. At any rate the possibility that the ‘sitting’ High Court Judge may not agree to serve as presiding Judge of the Special Court is real and their very refusal would embarrass judicial administration and lower the prestige of the judiciary”.

Further, since the courts would be set up by the Central Government, independent administrative arrangements will have to be made which would prove to be complex and expensive. Thus the object of speedy trial sought to be achieved through the provisions of the Act would be frustrated. The same objective of a fair and speedier trial can as well be achieved through the normal procedure by creating additional courts if necessary, of the same category as the ordinary criminal courts. Under Section 407 of the Code of Criminal Procedure, it is open to the High Court to try any case itself whenever it considers it expedient to do so in the interest of justice. It would not also be appropriate to prosecute persons who are alleged to have committed certain offences under the provisions of the Special Court Act when they could very well be tried in ordinary criminal courts. The normal provisions of the law, are, therefore, considered quite sufficient to deal with such cases.

Sir, this is an Act which had been politically motivated and was designed to harass political opponents. The Act does not deserve to be any longer on the statute book. Sir, with these words, I beg to move the Bill for consideration of the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

“That the Bill to repeal the Special Courts Act, 1979, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration”.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North East): The emergency was the nightmare for the ordinary people of this country; and because of the Act, many people suffered. The question now before the nation is regarding the repeal of this Special Court Act; whether the emergency is likely to be repeated again or not. I would say that if the Government were to come forward and say that there is no chance of emergency ever being repeated again even in similar circumstances, then I would be ready to call it a quits and forget all that took place. But if I am to state something of the emergency here again, there may be a repetition. But every year, we read the Ramanaya and sometimes the Mahabharata even though we know the stories. But by constant repetition, the mistakes committed by certain bad elements in these stories or in these scriptures, these are to be brought to the notice of the people. So, in the same way, I would like to use this opportunity to bring to the notice of the Hon. Members sitting there something of what had happened in the emergency which should not happen again.

It is not a question of 140,000 people who were sent to jails, innocent people, without trial, without reasons, so much so that in the courts Government maintained that anybody's life would be deprived of without going through the due process of law; this is something which we never thought in our country.

Similarly, the censorship on the Press was no severe that they themselves did not know what was happening in the country; and the censorship was to such a ridiculous extreme that on October 2nd when we wanted to print Mahatma Gandhi's photo in the newspapers, the Government issued an order saying that we cannot print it. Then we wanted to quote Rabindranath Tagore, but the Government said, “No, you cannot do that”. We wanted to bring out a pamphlet quoting Jawaharlal Nehru's speeches of 1936. Even that was subjected to censorship. Even Mrs. Gandhi's own speeches made before 1975 were also subjected to censorship. That was the extent to which the censorship went and in the process many people got hurt. I am not one of those who did get hurt, although I opposed the Emergency fully, I did not get arrested, because they were incapable of arresting me. I even offered them a wonderful opportunity by turning up in Parliament making a small speech but even then they could not arrest me! It is not my fault, that I did not go to jail. (*Interruptions*) That is not out of generosity.

AN HON. MEMBER: He is still not afraid! (*Interruptions*).

SHRI K. MAYATHEVAR (Dindigul): Let the Emergency come again, you will see. (*Interruptions*).

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: But there are many people who went to jail. They suffered. We do not hold it against them. Now, we say, let us learn by experience. What has happened has happened. Let it not happen again. If you say that it will not happen again—the Minister in his introductory speech has said that they do not want to engage in vendetta. Very good; that they do not want to. But let them function within the democratic framework if they are committed to it.

Periodically we see things here and there in the Press which give us an

[Dr. Subramaniam Swamy]

apprehension that they are still thinking of tinkering with the system once again. But if they repeatedly go on saying, "We are committed to democracy, it will not happen again. Emergency was an aberration, an aberration that will not take place again", Well, I think we can all work together without any difficulty. But before I conclude I would like to make a few corrections.

We find that Mrs. Gandhi, while giving interviews to foreigners, she says, "Look at the Janata Government, how ridiculous they were! They have charged me with stealing two chickens and six eggs"...and something like that. And this was—I found out some details—done by an Inquiry Board in Manipur where one Mr. Trikha was the Advocate-General. He did it. Now, who is this Mr. Trikha? I would like to put it on record that—for your knowledge—Mr. Trikha was working with the RAW during the Emergency and he was sent after me. In every meeting that I addressed in the United States during the Emergency Mr. Trikha was there and was creating disturbance. He was their agent! As soon as our Government came, he became our agent! Sitting in a corner in Manipur today he has become your agent! I am telling you. Please go and find out what has happened to Mr. Trikha. So this chicken and eggs charge, this ridiculous charge, not only against Mrs. Gandhi, but there are number of charges against us also. I had myself 18 cases against me. They talk about Mrs. Gandhi being expelled from Parliament, I was also expelled from Rajya Sabha. The only crime I committed was that during the Emergency and right before their noses, I disappeared again. So they wanted to cover up and threw me out. Therefore, the only lesson to be learnt is, let us not repeat this bad chapter again. Let us both together resolve that this should not happen again.

Sir, the Emergency was illegal and this has been established in a docu-

ment, which I think you must have withdrawn by now, called, "The Shah Commission of Inquiry". "Justice Shah" you may not like. (Interruptions).

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): From where did you get it?

Dr. SUBRAMANIAM SWAMY: These are not Mr. Justice Shah's words. These are from my archives.

Mr. Deputy Speaker, Mr. Shah has recorded the evidence of Government officers. I will conclude with a just a few words.

AN HON. MEMBER: Mr. Fernandes was there?

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: I am not defending Fernandes. Others can defend him.

Here is a reproduction of a letter written by Shrimati Indira Gandhi. You do not mind my reading her letter I hope. This is dated June 25, 1975. Marked "TOP SECRET", PRIME MINISTER, seal, etc. NEW DELHI JUNE 25, 1975.

"Dear Rashtrapatiji," she says, "As already explained to you a little while ago,..."etc., etc.,

"I would have liked to have taken this to Cabinet but unfortunately this is not possible tonight. I am, therefore, condoning or permitting a departure from the Government of India (Transaction of Business) Rule 1961, as amended up to date by virtue of my powers under Rule 12 thereof. I shall mention the matter to the Cabinet first thing tomorrow morning".

This is a Declaration of Emergency without the matter being put up before

the Cabinet. Now, it cannot be done because the Janata Government has amended the Constitution in such a way that it is impossible even to use Rule 12 to subvert this matter. But even this is wrong because under Article 77 of the Constitution, the allocation of business rules and transaction of business rules, there is Entry 27-I want you to read this because this is the art of the Government—which says that the declaration of the Emergency must be processed by the Home Ministry. Even if it is not to go to the Cabinet, the Prime Minister cannot send a letter to the President. The Home Ministry must process it, forward it to the Prime Minister, who then can forward it to the President, without going to the Cabinet. That is there in the old rules even. But that did not happen. It is amply demonstrated over here. I would urge the Home Minister to read it like the Ramayana. Please learn from the past mistakes. I am not saying that we have not committed mistakes. We have committed mistakes. That is why, we are on this side. You should not commit the mistakes ; otherwise, you will be on this side.

In this it is very clearly stated that the Home Ministry has, at no stage, made any recommendation to the Prime Minister that the internal situation in the country warranted imposition of internal emergency. Similarly, no paper was received from the Intelligence Bureau in the Ministry of Home Affairs between June 12 and 25, 1975 suggesting that the internal situation in the country warranted imposition of internal emergency. You can read the evidence of the Home Secretary or the evidence of the Chief of the Intelligence Bureau. Mr. Atma Jayaram, Director, Intelligence Bureau says:

“It was, I think, a good deal later in the day that I came to know about the declaration of the Emergency”.

Mr. B.D. Pande, the then Cabinet

Secretary says:

“The declaration of Emergency was a very great surprise to me”.

I can quote Mr. H.R. Gokhale, why says:

“I came to know of the proclamation of the Emergency for the first time at the Cabinet meeting held on the morning of 26th June, 1975”.

What does this all mean ? It means that the declaration of the Emergency was totally illegal. 140,000 people went to jail ; there was censorship, lot of pain and trouble.

SHRI MOOL CHAND DAGA (Pali): Why do you not speak on the Bill ?

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: I am bringing you up because you are at the wrong end of the Emergency. I am at the right end.

All this had created a climate in the country that people wanted even retribution. They wanted a quick action. There was a tremendous pressure. I may tell you that for a long time, we deliberated on this question. That is why, this Bill was passed only in 1979. It was not passed in 1977 or 1978. But there was a need to have this matter quickly processed. Ultimately, we passed it. Then because of certain follies committed by my colleagues, it led to the fall of my Government.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Why do you not say ‘follies committed by us’ ?

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: As a consequence they did get popular mandate and they won the right to rule the country. But now, the aberration should not be repeated. If, I, at any time, become convinced that this Government has no intention of declaring another Emergency, then I

[Dr. Subramaniam Swamy]

would even support this Bill. But I am not convinced. There is a lurking fear, because of the statements made here and there, that may be when things get very hot, they may try to do it again. Therefore, I cannot support this Bill. If the Minister comes in with a very convincing argument which convinces me that they will never think of declaring Emergency again, then I am prepared to support the Bill. But I doubt whether he can come with such a convincing argument. So, I would like to oppose the Bill.

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) :
उपाध्यक्ष जी, मैं इस बिल का समर्थन इसलिये करता हूँ कि इस बिल के द्वारा जो स्पेशल कोर्ट्स और जो पाप जनता पार्टी ने देश में किये उसका निवारण करने का एक ही उपाय है कि इस पाप के ऊपर बनायी हुई ऐसी अदालतें इस देश के अन्दर स्थापित नहीं रहनी चाहियें। इसलिये सरकार ने जो बिल रखा है इस प्रकार के कोर्ट जिसके द्वारा निरपराध लोगों को जबरदस्ती फंसाया गया, झूठे मुकदमे लगाये गये, उनके खिलाफ गलत चार्जिज लगाये गये और इस प्रकार की व्यवस्था की जिससे उन लोगों को सख्त से सख्त सजा देकर अपनी राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति करने लिये इस प्रकार के कोर्ट इन्होंने स्थापित किये। उसका मैं घोर विरोध करता हूँ।

(व्यवधान)

जनता पार्टी के अन्दर सब तरह के लोग मिले हुये थे। ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य खास तौर से उनके समर्थक थे। ये अपने आपको कहते हैं कि हम समाजवादी हैं मगर ये लोग पूंजीपतियों के सबसे बड़े हिमायती रहे हैं और इन्होंने जनता पार्टी की हिमायत कर के इस प्रकार के स्पेशल कोर्ट्स

इस देश में स्थापित कराये जिससे निरपराध लोगों को सजा दी जा सके। इसलिये सबसे बड़े दोषी सी० पी० एम० के लोग हैं, इन्होंने ही सबसे ज्यादा गड़बड़ करने की कोशिश की और जनता पार्टी का लाम भी इन्होंने ही उठाया। इन्होंने जनता पार्टी को तुड़वाते वक़्त अपना राज्य पश्चिम बंगाल में स्थापित कर लिया।

(व्यवधान)

इन्होंने इस तरह की हालत इस देश में बना ली है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इन्होंने पाप के अन्दर सामेदारी की है और जो पाप इन्होंने इस देश में किया है, उसके सबसे बड़े हिस्सेदार ये लोग हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिये।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इन्होंने उस पाप के जरिये से जो बंगाल में अपना राज्य स्थापित किया है, उसमें गरीबों की इन्होंने क्या स्थिति कर दी है। बंगाल के गरीब लोगों की जमीन छीन-छीन कर ये अपनी पार्टी के लोगों को दे रहे हैं। इस प्रकार का अन्याय और अत्याचार इन्होंने वहाँ पर किया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी चुनाव के दौरान वहाँ पर गया था। मैंने वहाँ पर कास्तकारों को यह कहते पाया कि इन्होंने उनकी जमीन छीन-छीन कर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दे दी। ऐसी पार्टी की सरकार को तुरन्त डिसमिस किया जाये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप इस बात की सिफारिश करें। वहाँ पर ऐसी सरकार स्थापित की जाये जो वहाँ के लोगों का ज्यादा से ज्यादा मत्ता कर सके।

मैं इस बिल पर बोलना चाहता हूँ, मगर इन लोगों ने बीच में ही मुझे डिस्टर्ब कर दिया, इसलिये मुझे इनके खिलाफ बोलना पड़ा।

इस बिल के द्वारा देश में इन्होंने जिस प्रकार का तांडव नृत्य किया, शाह कमीशन बिठाकर वह अजीब बात है। शाह कमीशन के ऊपर इस देश में चार्जज लगे थे कि यह आदमी जिस वक्त अपनी कुर्सी पर था, तब भी इसने गलत काम किये और अन्याय किये। ऐसे आदमी को जानबूझकर कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के नेतृत्व को और कार्यकर्त्तियों को परेशान करने के लिये इन्होंने उस कमीशन का चेयरमैन बनाया। राजनीतिक द्वेष के कारण इन्होंने इस प्रकार का षडयन्त्र रचा इन स्पेशल कोर्ट्स के जरिये जिससे सारे के सारे अधिकार लोगों के समाप्त हो गये।

हमारे माननीय मंत्री जी न ठीक कहा कि एक जज जो उनकी पार्टी में विश्वास करने वाला हो, उसी को उन्होंने नियुक्त कर दिया। उसके बाद उसकी अपील करने का, सुनवाई करने का भी अधिकार न रहे, इससे ज्यादा अत्याचार और क्या हो सकता है ?

यह कहते हैं कि हम प्रजातंत्र में और प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास करते हैं, लेकिन डिक्टेटोरियल टाइप की व्यवस्था को ये कायम करना चाहते हैं। हमारे स्वामी जी ने कहा कि हमको विश्वास नहीं है इस पार्टी पर, मैं कहना चाहता हूँ कि आपको विश्वास होना चाहिये, हमारी नेता ऐसी हैं कि जब सन् 1977 में हम एक साल तक और राज्य में रह सकते थे,

(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Do you want special courts to deal with thezm ?

SHRI GIRDHARI LAL VYAS: No, I do not want special courts.

इसलिये मैं यह कह रहा था कि इस प्रकार के लोगों ने जो देश में इस तरह की हालत पैदा कर दी है, उस स्थिति को निश्चित तरीके से आपको ध्यान में रखने की जरूरत है।

हमारी नेता प्रजातंत्र में इतना विश्वास करती हैं कि 1977 में, जबकि हमारी पार्टी एक साल और सत्ता में रह सकती थी, इसके बावजूद उन्होंने चुनाव कराने का आदेश दिया और इन लोगों को शासन करने का मौका दिया। लेकिन इनमें अक्ल ही नहीं है। ये राज्य करना नहीं जानते। ये आपस में लड़े झगड़े और टूटे। हमारी पार्टी ने उनको नहीं तोड़ा। इनमें आपस में इस प्रकार का टकराव था कि एक पार्टी दूसरी को खाना चाहती थी।

श्री स्वामी ने कहा है कि इमर्जेंसी में 1.40 लाख लोगों को जेल में डाला गया। उन्होंने इमर्जेंसी में अपने नेताओं की हालत नहीं देखी। जो-जो लोग जेल में रहे, वे सब के सब सांड बन गए। जिन्हें अपने घर में खाना-पीना नहीं मिलता था, उनके लिए जेल में पूरे आराम और आसाइश का इन्तजाम सरकार द्वारा किया गया और उनका पूरा खयाल रखा गया। इमर्जेंसी के बारे में गांवों के लोगों, काश्तकारों और मजदूरों की राय पूछिए। जो बड़े-बड़े नेता जेल में रखे गए, वे तो इमर्जेंसी से नाराज थे, लेकिन ग्राम लोग खुश थे कि कचहरियों और दफ्तरों में ठीक ढंग से काम होता है, रेलों समय पर चलती हैं, कारखानों और खदानों में ज्यादा उत्पादन होता है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : दोबारा इमर्जेन्सी लाएंगे ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : दोबारा हम नहीं लाना चाहते। लेकिन यह सच है कि उससे गरीबों को बहुत लाभ हुआ। उससे पूंजीपतियों, स्मगलर्स, गुंडों और सी पी आई और सी पी एम को बहुत कष्ट हुआ, लेकिन ग्राम लोगों को बहुत राहत मिली। जिस व्यवस्था के अन्तर्गत देश में शान्ति रहे, उत्पादन में वृद्धि हो और सारा सामान वाजिब कीमत पर उपलब्ध हो, उसको कौन नहीं चाहता ? लेकिन इन लोगों को देश से कोई हमदर्दी नहीं है। इनमें से कोई चीन की तरफ देखता है, कोई रूस की तरफ देखता है और कोई अमेरिका की तरफ देखता है। ये लोग और जगहों से मिलने वाले डशारों के मुताबिक काम करते हैं। अगर इन्होंने देश को शक्तिशाली बनाना होता, तो ये इमर्जेन्सी को सपोर्ट करते और देश में सब गड़बड़ियों, अव्यवस्था और खराबियों को समाप्त करने में पूरा सहयोग देते। इससे राष्ट्र मजबूत बनता और हम लोग दुश्मनों का कारगर ढंग से मुकाबला करते।

इन लोगों ने सजय गांधी के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया, वह बहुत शर्म की बात है और इन लोगों को डूब मरना चाहिए कि जिस नौजवान ने देश के युवकों को सही रास्ता दिखाया और युवकों को आगे बढ़ने का मौका दिया, उनके साथ कैसा अन्याय किया। इन्दिरा जी केवल हमारे देश ही नहीं, सारी दुनियां की महान् नेता हैं। इन लोगों ने उन्हें भी जेल में रखा और स्पेशल कोर्ट्स में उनके विरुद्ध झूठे मुकदमे चलाए। यह इनके लिए डूब मरने की बात है।

राजनैतिक द्वेष के कारण स्थापित की हुई स्पेशल कोर्ट्स बिल्कुल गलत हैं। ऐसी स्पेशल कोर्ट्स किसी देश में नहीं रहनी चाहिए। मंत्री महोदय उन्हें समाप्त करने के लिए जो विधेयक लाए हैं, मैं उनका समर्थन करता हूँ।

SHRI AMAL DATTA (Diamond Harbour): Mr. Deputy Speaker, Sir, I am grateful for giving me this opportunity of addressing this House at this stage.

This Bill seeks to repeal an Act passed in 1979. The Act itself, irrespective of its origin, about which Dr. Swamy has spoken at some length was, I think, the first tentative step taken by the Government, whatever its complexion, to bring about some purity in public life, to see that people who hold high position and responsibility and wield enormous power should also be aware that on their head there is a sword of democles hanging because retribution may follow quickly. One of the difficulties of the legal system of this country is that no litigation, civil or criminal, can be brought to a quick end. The quickest one can think of may be 10 years, 12 years or something like that. If one has to take a criminal action from start of the prosecution upto its final ending in the Supreme Court, it will take usually 8 to 10 years, if not more. If the litigants, the prosecutor, the accused person, are at all conversant with the niceties of legal procedure, he can go on keeping it hanging in the courts of law for decades. Therefore, persons who wield political power, who wield power over the enormous resources of this country, the resources which rightfully belong to the poor people, people have created the resources but from whom through political power, by coercion, large resources come to the Government; the Government acquires those resources and then a handful of people sitting at the pinnacle of Government, spend that money sometimes for their own advantage which people know but noth-

ing can be done about it. One of the reasons why nothing can be done about it is that everybody knows that nothing can be done quickly through the courts of law. If to-day prosecution starts, it will not end before that politician who is responsible for a particular heinous act, dies or before he quits politics. No retribution during the tenure of his political life can come through courts as they stand to-day. As Mr. Swami has explained and as I had also read in the history of this particular legislation of 1979, it was originally mooted as a Private Bill called 'Emergency Courts Bill' by Shri Jethmalani. Well, at that point of time, there may have been thoughts of retribution. There may have been thoughts that in accordance with the findings of the Commission, people found guilty of various offences should be punished. This Act itself did not create any offence. The offences which were already there in various statute books, Indian Penal Code, etc. have already created offences. People who have committed offences should be brought to a speedy trial. It may have been the idea behind such an Act that they should not be entitled to sully public life further by coming to power because persons who have been convicted of the cognisable offence will not be able to take part for a number of years. I forget the number of years for which she or he is barred for taking part in the election. It was only a step taken by any Government after independence towards bringing some amount of purity in public life by which I do not mean the officers who work in the Government but the politicians as well. You may remember and many people in the House here may remember, after the end of the Second World War, we got independence and there was black marketing rampant which was the legacy of the war.

15-00 hrs.

Our beloved Prime Minister whom we used to look up with great respect,

then openly and publicly announced—we shall get hold of the blackmarketeers and we shall hang them from the nearest lamp post. In those days, I was in school and I did not know that this cannot be done. But people who should have known better, they also admired him for such speech, arousing speech. But it had no meaning because it had no basis in legality, in the legal system of the country. No effective step was taken for speedy trial of blackmarketeers by the Congress Government. Not only that. What happened was that the blackmarketeers got into the Congress and the Congress started getting into the blackmarketeers and it all became a wild thick jungle. So, after that this was the only step ever taken to see that by speedy trial, some people who have been guilty of offences against the people can be tried and convicted. This is the first step which was taken. Now, today Government is trying to take that small step away.

15.01 hrs

[SHRI CHANDRAJIT YADAV *in the Chair*]

Nothing effective has been said against this Bill. Let the Minister who is moving the Bill say what are the cases which are brought under this Act and for what reason, the people cannot repose confidence in this Act?

Mr. Chairman, Sir you will see in the Statement of Objects and Reasons of this Bill, it is stated that the Special Courts Act, 1979 was enacted with a primary object of providing for the speedy trial of certain class of offences and that the experience of the working of the Act has shown that it has not inspired the public confidence. What is the experience of the working of the Act? Has the Act been worked at all? I do not think, the Act has been worked at all. We have no knowledge. The House has been deliberately denied the knowledge of the working of the Act. It is the House which is to be taken into trust.

[Shri Amal Datta]

In the Statement of Objects and Reasons, it has been said that the working of the Act has failed to inspire the confidence of the people. But the Act has not been given any chance at all. That is the correct position and it should have been stated. While moving the Bill, what does the Hon. Minister say? Does he say only about the confidence of the people? He does not do so. He has said the Bill was enacted—the original Act, 1979 was enacted—out of motives of political vindictiveness. Whatever the origin of the Act, is that relevant today? They are the people who are now ruling. They may not put this particular Act into action at all. They may not resort to this Act at all. But why should an attempt be made to take this Act away from the statute book so that it cannot be used again when it is thought necessary or expedient to bring such an action? This is not an Act which was hurried through and enacted by both the Houses of Parliament. Mr. Chairman, Sir, you are aware that before this Act was enacted, it was sent to the Supreme Court of India for its opinion in its advisory capacity under Article 143 of the Constitution. And the Constitution Bench of the Supreme Court gave its advisory opinion. Some of the judges did not think that the Act was practicable but the majority of the opinion was that the Act was practicable, necessary and desirable. But they thought that to be consistent with the framework of the Constitution of India, certain changes needed to be made in the Bill as originally framed, and those changes were later incorporated before the Bill became an Act. For instance, there was no provision for transfer from one Special Court to another in the original Bill. Chief Justice Chandrachud suggested in his advisory opinion that there should be a power for transfer of the case from one Special Court to another and that was enacted in the original Bill.

This is a Bill which has gone through the whole hog of Supreme Court. It had been argued for days together by both the sides before the Supreme Court and the Supreme Court upheld the validity of the Bill and the Bill which was later on enacted had been in accordance with the advice given by the Supreme Court. It is not a Bill to be thrown away just like that. It had been enacted after a lot of deliberations.

Secondly, while moving the Bill, the Hon. Minister stated that there are certain inherent defects in the concept and he gave some examples, namely, that it is still amenable to the jurisdiction of the High Court and, therefore, no speedy trial can be possible. How can one take away the jurisdiction of the High Court? One cannot just take away the jurisdiction of the High Court one way or the other. As long as the powers of the High Court under Article 226 of the Constitution are there, as long as those powers are not taken away; the jurisdiction of the High Court will remain. But just because the jurisdiction of the High Court will remain, we are not going to take away the Act from the statute book. In that case, you take away all the Acts from the statute book because the jurisdiction of the High Court extends over all such matters.

There is no superintendence of the High Court. I think, the Hon. Minister should go through the original enactment. All that power of superintendence and appeal is vested in the Supreme Court directly. This was conceived as a court where a judge of the High Court will preside and any appeal or any superintendence over that will be exercised by the Supreme Court. So, the appeal will directly go to the Supreme Court. The result will be that the Supreme Court will be able to go into not only the points of law which is what it at present does in respect of criminal appeals but the Supreme Court will also go into the facts of the case as

well. There is no chance of justice not being done or the justice going astray in a procedure like this. I say this because first the High Court judge presides over the Special Court and then the court of appeal is the Supreme Court which can go into and sift all the points of law and the facts of the case.

Hence the object of speedy trial would have been amply satisfied and the requirement is still there. It is not that because Emergency is a thing of the past, because the members of the ruling party who are in the Government are now saying that there will be no more Emergency again, but Emergency or no Emergency, such a situation may arise. For example, today, there is a discussion about the Kuo oil deal; tomorrow, there may be some other scandal coming out. As I said earlier, the people who are in power are corruptible. Power corrupts. This is a saying much used but not much significance is attached to it when it comes to the question of taking action. If we believe that power corrupts or power tends to corrupt, then we must also agree that those people will wield so much power that the nation's entire resources are apt to go astray from time to time. I am not saying, for the sake of argument, that all the members on the other side are corrupt; some may be quite honest. But even then there may be an occasion which shows an accusing finger to them that there may have been some lapses on their part. Why should they not stand trial in such a court even to clear themselves? This is a court which will not only find a guilty a person who is accused but this will also be a court which will clear the people who have been unnecessarily and falsely accused of a particular offence. The speedy trial has its own virtues. It should be preserved if there is no other fear in the minds of the Treasury Benches.

The object and reasons as printed in the Act are hollow because they

do not give any substance as to what trial the Act has been put to. What is the trial to which the Act has been put to that shows that the people have no confidence in it?

On the other hand, the other reasons which are being given for moving it, are not consistent with the Act itself.

As I said, the superintendence of High Courts does not exist. So far as this Act is concerned, Article 226 will always be there and you cannot remove it without changing the constitution. This can and never be the reason for taking the Act away from the statute book. If there are any other substantial reasons, they should have come out with them. But the reasons that have come out are very very flimsy and they do not constitute the ground for taking this Act away.

It has taken only one tentative step, it has not created any additional offence excepting what was there in the statute book. Only a person who is guilty of those offences, if that person happens to occupy a high political position, then the Government can set up a special court to have him tried. A special court is not just a person who is a henchman of the Government. The special court is presided over by a High Court Judge—what is wrong in that?

The Hon. Minister asked what happens if the High Court Judge declines. Well, it is happening all the time. Commissions of Enquiry are being appointed. Often the Government ask the Chief Justice of the High Court concerned to give the name of a Judge who will accept appointment as a Commission of Enquiry. Many Judges have declined. Some Judges agree. So, what is wrong in that? Just because a Judge may decline to become a Judge of a Special Court, it does not mean that the special court will become unworkable. There are 30 or 40 judges in a particular High Court.

[Shri Amal Datta]

One of the other of them will accept the appointment or he may be from some other High Court. That does not matter. In India, there are 350 to 400 High Court Judges. One of them would certainly agree. Those reasons given are really inane and have no substance.

I also cannot agree with Mr. Swamy that if they come out with a convincing argument that they are never going to impose emergency, then he will not oppose it. I cannot agree with that. Emergency or no emergency, there is a definite need for such an Act, the Special Courts Act, 1979, to remain on the State Book.

With these words, I oppose the Bill.

प्रो० सत्यदेव सिंह (छपरा) : माननीय सभापति जी, हमारे मंत्री महोदय ने जो बिल प्रतिस्थापित किया है, उसका मैं समर्थन करता हूँ।

अभी माननीय डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा कि अगर एमरजेंसी फिर नहीं लगे तो मैं इसका समर्थन करता, मैं इसका विरोध नहीं करता। लेकिन एमरजेंसी के सम्बन्ध में जो चर्चा हुई, पहले में उसमें जाना चाहता हूँ।

एमरजेंसी की आवश्यकता क्यों हुई? एमरजेंसी नहीं लायी जाती अगर प्रजातंत्र का मखौल नहीं होता। बिहार जहाँ से मैं आता हूँ, माननीय श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह जी यहाँ उपस्थित हैं, वे बिहार के प्रमुख और प्रभावशाली नेता हैं। उनका हमारे प्रदेश में बड़ा सम्मान है। वे बड़े शान्तिप्रिय व्यक्ति हैं। लेकिन उनके विचार से मेरा यहाँ पर मतभेद है। प्रजातंत्र के मायने यह है कि हम स्वयं भी शान्तिपूर्वक रहें और दूसरों को भी रहने दें। जनता के द्वारा पांच साल

के लिए चुने गए प्रतिनिधि का अपमान करने, उसको परेशान करने का किसी को भी हक नहीं है। लेकिन वहाँ ऐसा वातावरण पैदा हुआ।

आजकल तो हम महात्मा गांधी पुल से सड़क मार्ग के द्वारा छपरा से पटना चले जाते हैं लेकिन पहले छपरा और पटना के बीच गंगा नदी को पार करने के लिए स्टीमर से जाते थे। वहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था, जनता का प्रतिनिधि कांग्रेस (आई) दल का, जिसको स्टीमर पर लड़कों द्वारा अपमानित न किया जाता हो, गाली न दी जाती हो। इस तरह से उनका जीवन परेशान था। संसद के भूतपूर्व माननीय सदस्य श्री द्वारिका नाथ तिवारी को छपरा म्युनिसिपल चौक पर तीन घंटे तक चिलचिलाती धूप में खड़ा रखा गया कुछ लड़कों द्वारा। उसका नतीजा हुआ कि उनकी हालत खराब हो गई और लगता था कि अब वे बेहोश हो जाएंगे। हमें खबर मिली तो हम लोग छपरा टाउन थाने पर गये और श्री हरिहर चौबे थानाध्यक्ष अपने सिपाहियों के साथ आए और उन्हें मुक्त कराया। नहीं तो उनको जिन्दा मार दिया जाता। इस तरह के वयोवृद्ध और राष्ट्र के तपस्वी नेता को परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, यह जानते हुए कि वे 5 वर्ष के लिए लोक सभा के सदस्य हैं। लेकिन प्रजातंत्र का मखौल उड़ाया गया, उपहास किया गया। पांच वर्ष तक आप धीरज रखते। इसके बाद चुनाव आता और जनता यह समझती कि सरकार ने काम अच्छा नहीं किया है तो अपदस्थ कर देती, तब कोई बात नहीं होती, लेकिन कानून-व्यवस्था अपने हाथ में लेकर प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ करना अच्छी बात नहीं थी।

जब ऐसा समय आ गया, सारी व्यवस्था भंग हो गई, अराजकता का वातावरण सब ओर फैल गया और देश में, खासकर बिहार प्रदेश में ऐसा लगता था कि पता नहीं यह प्रदेश कहां जाएगा, समाज कहां जाएगा। जो विद्यार्थी इस आंदोलन में आए, उनका जीवन ही समाप्त हो गया। उन्होंने किसी के बहकावे में आकर पढ़ाई छोड़ दी और दुबारा पढ़ाई शुरू नहीं कर सके, क्योंकि गरीब विद्यार्थियों के अभिभावकों के पास इतने साधन नहीं हैं कि वे फिर से उनकी पढ़ाई शुरू करवा सकें। कालेज का अध्यापक होने के नाते मुझे जानकारी है कि जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार किया, स्कूल कालेज छोड़ दिया, वे फिर कालेज वापिस नहीं आ सके। नतीजा यह हुआ कि सारा शैक्षणिक वातावरण बिगड़ गया जो आज तक ठीक नहीं हो पाया है। विद्यार्थियों का जीवन अंधकारमय हो गया है। सारा समाज अस्तव्यस्त हो चुका है। जब देखा गया कि शांति-व्यवस्था का कहीं नामोनिशान नहीं है तो ऐसी स्थिति में इमरजेंसी को लेकर व्यवस्था कायम की गई। आज भी लोग कहते हैं कि इमरजेंसी के समय में अनुशासन था और लोग आनन्द में थे। लेकिन इमरजेंसी का इतना भ्रमक प्रचार किया गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि जनता पार्टी सत्ता में आई। लेकिन स्थिति सुधर नहीं सकी। उस समय स्पेशल कोर्ट का एक्ट आया। जैसा कि मंत्री जी ने बताया है कि इसका एकमात्र उद्देश्य था कि किसी प्रकार भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को परेशान किया जाए उस सरकार का एकसूत्रीय यही कार्यक्रम था कि श्रीमती इन्दिरा गांधी पर अत्याचार किया जाए। जिसकी बजह से जनता में आक्रोश जगा और उसकी प्रति-क्रिया यह हुई कि आधे समय में ही इनका

पतन हो गया। कोई अच्छा कार्य उस समय नहीं किया गया। स्पेशल कोर्ट के द्वारा अनेक प्रकार से यातना देकर श्रीमती इन्दिरा गांधी को इतना परेशान किया और इसमें सब विरोधी दलों का हाथ था, जिसकी बजह से इन्दिरा गांधी सत्ता में आई। प्रतिशोध के भाव से यह बिल सदन में लाया गया। जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा कि सामान्य विधि व्यवस्था हमारे पास है, जिसके माध्यम से हम समाज में, देश में सारी सुव्यवस्था रख सकते हैं।

जो कानून हमारे पास है उन से सब कुछ किया जा सकता है, अपराधी को दंडित किया जा सकता है, उसके खिलाफ मुकदमे चलाए जा सकते हैं और स्पेशल कोर्ट्स की कोई आवश्यकता नहीं है। आनन्द पाठक जी ने बताया है कि स्पेशल ट्रायल का मतलब यह होता है कि स्पीडी ट्रायल हो। कोई भी काम जो जल्दबाजी में किया जाता है उसका नतीजा अच्छा नहीं निकलता है। शान्तिपूर्वक और धीरज के साथ, व्यवस्था के साथ काम होना चाहिये और न्याय हर अपराधी को मिलना चाहिये। वर्तमान में स्पेशल कोर्ट्स का कोई महत्व नहीं है। ये महत्वहीन हैं। राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित हो कर ही विशेष न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। अब इसका अन्त होना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : मैं इस निरसन विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। एक बार फिर इस देश के लोगों को, सांसदों को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि क्या इन विशेष न्यायालयों की आवश्यकता है या नहीं। रूलिंग पार्टी के संसद सदस्यों ने जो

[श्री जगपाल सिंह]

तर्क दिए हैं उनको काटने के लिए मैं एक ही बात उन से पूछना चाहता हूँ। जिस वक्त जनता पार्टी की सरकार ने 1979 में यह कानून बनाया था उस वक्त श्रीमती इंदिरा गांधी विरोध पक्ष में थीं। उस वक्त वह और उनकी पार्टी के सदस्य यह कह सकते थे कि इस कानून का मकसद केवल उनके खिलाफ मुकदमे चलाने का है। लेकिन आज खुद श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता में हैं। विरोध पक्ष की तरफ से उनको कोई खतरा नहीं है कि वे उनके खिलाफ स्पेशल कोर्ट्स के तहत मुकदमे चला सकते हैं। ऐसी अवस्था में इस बिल को लाने की आवश्यकता क्यों महसूस की गई है? एक एक संसद सदस्य को यहां बैठ कर गहराई के साथ सोचना चाहिये कि इसको लाने के पीछे उद्देश्य क्या है, इरादा क्या है, मकसद क्या है?

पूर्व वक्ता से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। भारत की ला एण्ड आर्डर की स्थिति जितनी खराब आज है क्या इससे ज्यादा खराब इसके पहले कभी हुई है? क्या उस वक्त भी इतनी खराब थी जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी लगाई थी? डकैतों के नाम पर सीधे घरों के अन्दर घुस कर हजारों लोगों को उत्तर प्रदेश में गोली मार दी गई है। पांच हजार निर्दोष लोगों को पुलिस ने घरों में घुस कर गोली से मार दिया है। इस पर भी एमरजेंसी घोषित नहीं की जाती है। जेलों में हमारी माताओं और बहनों के साथ दिन-दहाड़े बलात्कार किया जाता है, उनकी इज्जत लूटी जाती है, सैकड़ों और हजारों हरिजनों को घरों के अन्दर घुस कर आपकी पुलिस जिन्दा जला देती है, उनको गोली से भून देती है तो क्या इससे ज्यादा बदतर स्थिति कोई दूसरी हो सकती है? इससे बदतर स्थिति क्या

जनता पार्टी की सरकार के वक्त थी? आज श्रीमती इंदिरा गांधी एमरजेंसी घोषित क्यों नहीं करना चाहती हैं? आज जबकि आर्थिक और राजनीतिक कांड घट रहे हैं उनसे निपटने के लिए स्पेशल कोर्ट्स का सहारा क्यों नहीं लिया जाता है? अगर एमरजेंसी घोषित करने का क्राइटीरिया राजनीतिक और आर्थिक अपराध हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ कि स्पिरिट कांड हुआ, सीमेंट कांड हुआ जिस में अंतुने साहब शामिल थे, तो क्यों नहीं उनके खिलाफ स्पेशल कोर्ट की स्थापना की गई और इसके तहत क्यों नहीं उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। कांग्रेस पार्टी के लोग, आज जो राजनीतिक और आर्थिक भ्रष्टाचार देश में कर रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी को आपने जो छूट दे रखी है कि देश के करोड़ों लोगों की मेहनत और खून पसीने की कमाई को जितना चाहे लूटें, क्यों उनके खिलाफ इस कानून का उपयोग नहीं करना चाहते हैं? जब हम इस बिल को लाए थे तो इसको लाने का हमारा मंशा राजनीतिक नहीं था। हमारा मकसद यह था कि संविधान को तोड़-मरोड़ कर इस देश के लोगों के हितों को चोट पहुँचा कर जो लोग राजनीतिक और आर्थिक अपराध करेंगे फिर चाहे वह चन्द्रशेखर होते या चरण सिंह होते या श्रीमती इंदिरा गांधी होती या संजय गांधी होते, किसी को बख्शा नहीं जाएगा और सब पर यह कानून एक समान लागू किया जाएगा। हमारा सौभाग्य है कि जनता पार्टी के लोगों ने, जनता पार्टी की सरकार ने देश को अच्छी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था देने के लिए इस कानून को लाया था और मैं चाहता था कि आज आप इस कानून को और ज्यादा सक्रम करते, इसकी प्राविजंज को और ज्यादा सक्रम करते। इस एक्ट में

अमेंडमेंट करके कहते कि एक भी राजनीतिक प्रीपर आर्थिक अपराध किसी राजनीतिक आदमी के बर्दाश्त नहीं होंगे। आज आप संजय गांधी प्रीपर श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम की दुहाई दे रहे हैं। जनता पार्टी के समय में सभी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्त्ताओं को छूट थी, जब स्वर्गीय संजय गांधी ने देहरादून में जा कर स्पेशल कोर्ट्स के खिलाफ आवाज उठायी...

सभापति महोदय : आप नाम नहीं लेना चाहते थे, लेकिन अब क्यों नाम ले रहे हैं ?

श्री जगपाल सिंह : हमने उन चीजों की हमेशा अवहेलना की। मकसद यह था कि देश के राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को स्वच्छ प्रशासन देने के लिये मजबूर किया जाय। लेकिन आज आर्थिक और सामाजिक अपराध जिस तरह से सामने आ रहे हैं वह सभी को मानूम हैं। आज आपके मंत्री विदेशों से कमीशन तय कर के इस देश के भाग्य को तय करते हों और ऐसे समय में हमारे पास कोई कानून न हो कि ऐसा गलत काम करने के लिये किसी को छूट नहीं दी जायगी, यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात ही होगी। केवल एक यही कानून था जिसे ऐसे लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता था। आप आज उसी को निरस्त करने जा रहे हैं।

जो कारण दिये गये हैं वह इतने वेग हैं कि हम को कोई उचित कारण मालूम नहीं पड़ रहा है जिसकी वजह से यह विधेयक लाया गया। आपने दो कारण बताये कि अपराधों के शीघ्र विचारण के लिए उपबन्ध करता है। अभिनियम के कार्यकरण से यह अनुभव हुआ कि इसे जनसाधारण का विश्वास प्राप्त नहीं हुआ। जनसाधारण का विश्वास कैसे प्राप्त हो ? आपने तो

इसकी कोशिश ही नहीं की। इन कोर्ट्स को काम ही नहीं करने दिया। आपने कभी नहीं सोचा कि इस कानून के द्वारा देश को आप स्वच्छ प्रशासन दे सकते हैं। इस कानून के द्वारा अच्छे चरित्रवान मिनिस्टर्स को इज्जत दिला दें। आज हो यह रहा है कि जो जितना बड़ा बेईमान उसको उतना बड़ा इनाम। फिर इस कानून को वापस लेने की बात नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे ? जो कारण आपने दिये हैं मेरी समझ में नहीं आये, इसलिये मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि आपको अगर जरा सी भी शर्म है तो दोबारा सोच करके आप प्रीपर कारण दे कर इस बिल को सदन में लाइये। आपके पास अभी प्रीपर कौज नहीं है कि क्यों इस बिल को लाये हैं। कैसे आप इसको पास कराना चाहते हैं ? पास तो आप करा लेंगे क्योंकि आपका बहुमत है। लेकिन जरा सोचें जब आपके पास प्रीपर कौज नहीं है तो हमारी स्वीकृति आप कैसे चाहते हैं ? रूलिंग पार्टी के सदस्यों को लाजिकली सोचना चाहिए कि आज आपकी पार्टी की सरकार है, आपकी पार्टी के हाथ में सत्ता है, अगर विरोधी पार्टियों के लोग चाहें वह चन्द्रशेखर हों, बाबू जगजीवन राम हों, श्री मोरार जी देसाई हों या बहुगुणा हों, कोई भी आदमी अगर राजनीतिक अपराध करता है तो आपको और ज्यादा इस कानून को शस्त बना कर उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। लेकिन श्रीमती इन्दिरा गांधी जानती हैं...

एक माननीय सदस्य : हम नहीं जानते हैं।

श्री जगपाल सिंह : आपको जानना चाहिए। आप जानते हैं कि विरोधी पार्टी के लोग रूलिंग पार्टी के लोगों से ज्यादा स्वच्छ हैं। जनता पार्टी के शासन के समय

[श्री जगपाल सिंह]

एक भी मिनिस्टर के खिलाफ राजनीतिक अपराध लगा कर इस कानून के अन्दर मुकदमा नहीं चला सकते थे। अब आपको अपने भविष्य का खतरा है। इसलिये मैंने कहा था आज फिर हमको भूकभोरने के लिए यह बिल लाये हैं। मकसद एक ही है कि प्रधान मंत्री जो नक्शा भविष्य में इस मुल्क की व्यवस्था को बदलने के लिये बनाना चाहती हैं उसमें किसी तरह की कोई बाधा न हो। वह एक भी कानून ऐसा नहीं चाहती हैं कि आने वाले समय में कोई भी ऐसा कानून रहे। कल को अगर उसी पार्टी के लोग वगावत करके, कोई एक सही आदमी कहे कि हमारे पास कानून है, इसलिये अपने मिनिस्टर के खिलाफ इस कानून के तहत मुकदमा चलना चाहिए। वह इस बात को पसन्द नहीं करती हैं और न चाहती हैं। मान लीजिए आने वाले चुनाव में आप की रूलिंग पार्टी की सरकार दोबारा नहीं बनती है तो भी वह यह कानून नहीं रखना चाहती हैं क्योंकि अगर जनता पार्टी की सरकार की तरह फिर मुकदमा चलाया जाये राजनीतिक और आर्थिक अपराध में, विदेशों से कमीशन पर सामान भेजने और मंगाने तक के मामले में। मेरा कहना है कि इस देश में अंतुले जैसे कांड को स्पेशल कोर्ट के तहत चलाया जाये, लेकिन यह आपकी सरकार नहीं चाहती।

मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि बाकायदा एक कानून सुप्रीम कोर्ट की ओपीनियन लेकर बनाया गया। कमीशन की ओपीनियन थी कि मुकदमा जल्दी चले, स्पीडी ट्रायल हो और निपटारा जाये। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से ओपीनियन ली गई। हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भेजा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट

को पूरा अधिकार है कि वह स्पेशल कोर्ट के बिल को बना सकते हैं। एक ओपीनियन आ गई, हमने पोलिटिकल मकसद से उसके एस्टेब्लिशमेंट पर बिल्कुल विचार नहीं किया था। जनता पार्टी ने कहा कि उच्च न्यायालय का जज उसको प्रीसाइड करे, बाकायदा उसकी अपील का राइट है, अगर उस फैसले के खिलाफ कोई भी व्यक्ति, जिसके खिलाफ अपराध सबित हो गया हो, वह उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। यह एक तरीका था।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, क्योंकि आपने घंटी बजा दी है, पता नहीं मेरी या सरकार की, मगर हमारे मंत्री जी इस पर गहराई से सोचें।

सभापति महोदय : यह लोक सभा की घंटी है, आपकी या सरकार की नहीं है।

श्री जगपाल सिंह : इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कानून सोच-समझकर बनायें। फिर इसमें अगर कोई कमी है, तो सरकार उसे बताये कि फलां-फलां कमी है इसलिए इसको खत्म करना चाहते हैं। अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ था तो उस पर भी आपको संसद में बयान देना चाहिए कि जनता पार्टी की सरकार ने इस कानून को बनाने के बाद इन-इन केसेज में इसका गलत इस्तेमाल किया था।

भविष्य में अगर श्रीमती इंदिरा गांधी को इसके गलत इस्तेमाल की उम्मीद है तो आपको इस सदन में अपने बयान में कहना चाहिए था। हमारी रूलिंग पार्टी के लोग जो कहते हैं कि संजय गांधी के खिलाफ, इंदिरा गांधीके खिलाफ, आप समझिये कि एमर्जेन्सी के बाद जब हम 18, 18 और 19, 19 महीने

के बाद जेल से बाहर आये तब भी हमने बदला लेने की दृष्टि से किसी आदमी के खिलाफ कोई कार्रवाही नहीं की। जो भी कार्यवाही की गई वह बिबिन बी लिमिटेडशनज आफ ला की गई। सबको बराबर समझते हुए कानून के मुताबिक कार्यवाही की गई, व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए किसी भी राजनीतिक आदमी के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई।

यह कितना बड़ा जुल्म है कि देश के डेढ़ लाख लोगों को राजनीतिक मकसद के लिए जेलों में डाल दिया गया था। हिन्दुस्तान के लोग अपनी स्वतन्त्रता और मौलिक आजादी के लिये आवाज उठा रहे थे, आपने विद्यार्थियों, वर्कर्स और नेताओं को जेल में डाल दिया। आप कहते हैं समग्लस को एमर्जेन्सी में बन्द किया, लेकिन डेढ़ लाख लोगों को जिनको आपने जेल में भेजा था वह राजनीतिक पार्टियों के लोग थे जिनमें बूढ़े, जवान और औरतों तक को आपने जेल में डाल दिया था। उसके बावजूद भी इस कानून के पीछे जनता पार्टी का कोई राजनीतिक मकसद नहीं था।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से उम्मीद करूंगा कि उनको सद्बुद्धि आये और वह सही कारण बतला कर इस बिल को लेकर आये तभी हम समझेंगे कि वह सही बिल लेकर आये हैं। इसलिये सद्बुद्धि की कामना करते हुए मैं अपील करूंगा कि वह प्रीपर काज को लेकर सामने आये। यह कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : मान्यवर, आज जो विधेयक माननीय मंत्री जी ने सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। मुझे

ऐसी आशा थी, कि हमारे विपक्ष में बैठने वाले बन्धु, जोकि वास्तव में एक शुद्ध और पवित्र राजनीतिक वातावरण चाहते हैं और जो हमेशा इस बात की दुहाई देते हैं कि राजनीतिक जीवन में वह पवित्रता चाहते हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण चाहते हैं, उस वातावरण को दृष्टिगत करने के लिये जो आशाएं और अपेक्षाएं उनसे थीं, आज उनका प्राचरण बिल्कुल उसके विपरित है।

किसी भी राष्ट्र के राजनीतिक वातावरण में यदि गंभीरता नहीं है, वह मनोमालिन्य और द्वेष से ऊपर नहीं है तो कभी भी वहां का राजतंत्र सही तरीके से जो राजनीतिक ढांचा है, उसके अनुकूल नहीं चल सकता।

इस देश का यह दुर्भाग्य रहा है कि विपक्ष में बैठने वाले जितने राजनीतिक दल हैं, जब भी वे चुनाव में राजनीतिक तरीके से शिकस्त खाते रहे हैं, वे हमेशा इस बात की चेष्टा करते रहे हैं कि हमारे दल का नेतृत्व जो सबल राजनीतिक नेता करता है, किसी न किसी तरीके से उसके व्यक्तित्व के सम्बन्ध में कोई न कोई आरोप लगाकर उसकी छवि को धूमिल किया जाए। 1971 में लोक सभा के चुनाव में विरोधी दलों ने शिकस्त खाई और श्रीमती इन्दिरा गांधी और उनकी पार्टी को मैसिव मंडेट मिला। 1972 के विधान सभा के चुनावों में भी विरोधी दलों को मुंह की खानी पड़ी। इसके कारण उन लोगों में पोलिटिकल फ्रस्ट्रेशन था। वे देख चुके थे कि श्रीमती इन्दिरा गांधी एक सशक्त और सक्षम नेता हैं, जिनको वे चुनाव में किसी तरह से नहीं हरा सकते। इसलिए उन्होंने एक विस्फुरित कैम्पेयन चलाया और श्रीमती गांधी की पोलिटिकल पर्सनेलिटी के खिलाफ एक वातावरण तैयार करने की कोशिश की।

[श्री राम सिंह यादव]

इस अभियान में उन लोगों ने कौन से झूठे चार्ज और दोषारोपण श्रीमती इन्दिरा गांधी और मंत्रिमंडल के उनके सहयोगियों के खिलाफ नहीं लगाए? हर एक बिल का कोई उद्देश्य होता है। यदि किसी बिल को जैनरल पब्लिक, ग्राम आदमी या सैकशनज ग्राफ दि सोसायटी के लिए लाया जाए, तो उसका औचित्य समझ में आ सकता है। लेकिन अगर कोई बिल केवल एक व्यक्ति के राजनैतिक जीवन और राजनैतिक व्यक्तित्व को समाप्त करने के लिए बनाया गया हो, तो उससे जाहिर होता है कि उसके पीछे उसके निर्माताओं के उद्देश्य क्या थे। स्पेशल कोर्ट्स बिल का उद्देश्य केवल एक व्यक्ति के राजनैतिक व्यक्तित्व को समाप्त करना और उसको नाना प्रकार की यंत्रणाएं देना था। ये लोग चाहते थे कि श्रीमती इन्दिरा गांधी को हमेशा के लिए भारत के राजनैतिक अखाड़े से हटा दिया जाए।

इन लोगों ने इस पार्लियामेंट में सत्ता पक्ष में बैठ कर जिस दिन वह बिल पास किया, वह हिन्दुस्तान के न्यायिक इतिहास में एक काला दिन, ब्लैक डे था। विश्व की किसी भी पार्लियामेंट में, अंग्रेज के टाइम में भी, किसी हुकूमत के द्वारा, एक व्यक्ति को सजा देने के लिए, एक व्यक्ति को अपमानित करने के लिए, एक व्यक्ति को ताड़ना देने के लिए ऐसा कानून नहीं बनाया गया, जो कि इन लोगों ने बनाया। उस कानून के उद्देश्य क्या थे? श्रीमती इन्दिरा गांधी की तरफ संकेत करते हुए कहा गया :—

“WHEREAS Commissions of Inquiry appointed under the Commissions of Inquiry Act, 1952 have rendered reports disclosing the existence of prima facie evidence of offences

committed by persons who held high public or political offices in the country and others connected with the commission of such offences during the operation of the Proclamation of Emergency, dated the 25th June, 1975, issued under clause (1) of Article 352 of the Constitution:

AND WHEREAS investigations conducted by the Government through its agencies have also disclosed similar offences committed during the period aforesaid;

AND WHEREAS the offences referred to in the recitals aforesaid were committed during the operation of the said Proclamation of Emergency, during which a grave emergency was clamped on the whole country, civil liberties were curtailed to a great extent, important fundamental rights of the people were suspended, strict censorship was imposed on the press, judicial powers were severely crippled and the parliamentary democratic system was emasculated;”

इस बिल के आब्जेक्टिव्स से स्पष्ट होता है कि यह बिल केवल श्रीमती इन्दिरा गांधी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पास किया गया था और किसी के खिलाफ केस चलाने की बात नहीं थी। इन लोगों ने कहा कि इस बिल के तहत वे उन राजनैतिक नेताओं को दंडित करना चाहते हैं, जिन्होंने राजनैतिक जीवन को अपवित्र किया था, या अपने तरीके से उस का नाजायज फायदा उठाया या उन्होंने जुर्म किया। मैं पूछना चाहता हूँ जनता पार्टी के राज में एक राजनेता थे जिन्होंने बम केस किया, उन को आपने इस में नहीं रखा। ऐसे लोग जिन्होंने खुद कबूल किया कि मैंने चसती हुई पैसंजर ट्रेन को गिराया है जहां पर कि हजारों व्यक्तियों की हत्या हो सकती थी ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आपने इस ऐक्ट में

कोई प्रावधान नहीं रखा। आप इन राज-नेताओं को इस एक्ट के अन्दर नहीं लाए। आप ने इस में यह नहीं कहा कि इस तरह के जो लोग हैं उनको इसके अन्दर लाया जायेगा। उनके लिए तो आप ने इनाम दिया। मैं आप के प्योरिटी के स्टैंडर्ड को देखना चाहता था। आप ने कहा कि हम राजनैतिक जीवन में पवित्रता लाना चाहते हैं। आपकी पार्टी का स्टैंडर्ड क्या है। एक तो यह है कि इसी सदन के एक माननीय सदस्य के खिलाफ एक क्रिमिनल केस चल रहा था, हीनियस आफेंस का उसको आप ने विद्वद्रा कर लिया। आप कहते हैं कि जो पोलिटिकल लाइफ में हीनियस आफेंस करें उसको सजा होनी चाहिए, मैं समझता हूँ कि मर्डर अर्थात् धारा 302 व 307 ताजी-रात हिन्द का मुकदमा है वह एक हीनियस आफेंस है, उस हीनियस आफेंस का कोई भागीदार हो और एक रेगुलर कोर्ट में उसका केस चल रहा हो उस राजनैतिक नेता को तो आप इनाम देते हैं, उसका ट्रायल नहीं देखना चाहते हैं, उसको आप इनाम देते हैं और केस को विद्वद्रा करके उसको मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं, यह आप की प्योरिटी है? यह आप का स्टैंडर्ड है राजनैतिक व्यक्तियों को देखने का। यदि आपका मकसद वास्तव में इस तरह का था कि आप राजनैतिक जीवन में शुद्धता लाना चाहते थे तो ऐसे व्यक्तियों को भी इसमें शामिल करना चाहिए था। लेकिन आप ने ऐसा नहीं किया। इससे जाहिर होता है कि आप का इरादा क्या था?

आप का इरादा केवल एक व्यक्ति के लिए था और वह व्यक्ति श्रीमती इंदिरा गांधी थीं जिसको आप किसी तरह से भी आज तक चुनाव में कभी शिकस्त नहीं दे सके। यह 77 से पहले का नक्शा आप के

दिमाग में था। मैं कहना चाहूंगा कि आपने जो पोलिटिकल पार्टियों के लिए कहा, अभी यहां डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी नहीं हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, गलाघरी ब्रादर्स के बारे में क्या कहानी है? वह क्या उस समय नहीं थे? उनके बारे में वह क्या कहते हैं? क्या उनके लिए यह एक्ट बना? ऐसे लोग जो स्मगलर्स थे उनके लिए इसमें प्रावधान रखा? आप कहते हैं कि आप स्मगलर्स के खिलाफ थे। मैं कहता हूँ कि यदि आप स्मगलर्स के खिलाफ थे तो उनको और ऐसे जो एंटी नेशनल लोग हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं जिनसे आप जानते हैं कि राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा है, जो राष्ट्र की सुरक्षा और इंडिग्रिटी को खतरा पैदा करते हैं, उनको इसमें रखना चाहिए था। लेकिन ऐसे लोगों को आप ने इसमें नहीं रखा? यदि आपका इरादा यह था तो उनको रखना चाहिए था। इससे जाहिर है कि आप ने जिस इरादे से इस एक्ट को बनाया वह इरादा आप का ऐसे लोगों को उसमें रखने का नहीं था।

शाह कमिशन की बात कही गई। मैं निवेदन करूंगा, श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ दिल्ली में आपने एफ० आइ० आर० दर्ज करायी थी और आप यह जानते हैं कि किसी भी अभियुक्त के विरुद्ध यदि कोई एफ० आइ० आर० दर्ज करायी जाती है तो उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, जाब्त फौजदारी के अन्दर यदि उस इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेशन आफिसर के पास प्राइमफेसी केस होता है तो मुलजिम का यदि नाकाबिले जमानत मुकदमा है तो उसमें गिरफ्तार करता है और गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे में एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है। मजिस्ट्रेट उससे कारण पूछता है इन्वेस्टिगेशन आफिसर से, उसकी केस डाय

[श्री राम सिंह यादव]

देखता है और उसके बाद यदि मजिस्ट्रेट को यह संतोष होता है कि वास्तव में मुलजिम के खिलाफ प्रथम दृष्टि में केस बनता है तो वह उस को रिमांड देता है। आपने श्रीमती इन्दिरा गांधी के खिलाफ जो इस देश की प्रधान मन्त्री रहीं, एक बहुत बड़ी नेता रहीं, आप के विरोध में जो एक सदस्य की हैसियत से जीत कर यहां आईं उन को आपने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार जब किया जब कि आप के पास उन के खिलाफ एविडेंस नहीं था। इस बात को मैं नहीं कहता, इस बात को आप के रिकार्ड कहते हैं, आपकी फाइलें कहती हैं। यही नहीं, इस के अलावा उनको गलत तौर पर कानून के खिलाफ असंवैधानिक तरीके से गिरफ्तार किया और मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया तो मजिस्ट्रेट पूछता है और रिमांड आर्डर के लिए जो केस मजिस्ट्रेट देखता है तो उसमें उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था, कोई प्राइमफेसी केस नहीं था। तब मजिस्ट्रेट ने उनको रिलीज किया और 169 धारा जो सी० धार० पी० सी० की है उसके अनुसार अगर इनसफीशिएंट एविडेंस हो तो एक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर दिया जायगा, ऐसा प्रावधान है। उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था। यह इस बात को जाहिर करता है कि आप के इस एक्ट का मकसद क्या था? जब इस तरह की फाइलें आप तैयार करा सकते हैं, एक नेता को इस तरह से गिरफ्तार करा सकते हैं जब कि आप के रिकार्ड में कोई एविडेंस नहीं हो तो इस से आप का मकसद साफ जाहिर हो जाता है। उनको गिरफ्तार करके हथकड़ियां लगा सकते हैं, उनको दिल्ली से बाहर किसी अज्ञात स्थान पर ले जाना चाहते थे, किस लिए ले जाना चाहते थे? वारंट जो भी

मिलता है मुलजिम को उसमें हमेशा स्थान दर्ज होता है, टाइम दर्ज होता है, जुर्म दर्ज होता है। श्रीमती इन्दिरा गांधी को जब वारंट जारी किया गया तो जहां उन्हें ले जाना चाहते थे, वह डेस्टिनेशन भी उनको नहीं बतलाया गया कि कहां पर ले जा रहे हैं।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री रामसिंह यादव : दो मिनट और लूंगा।

जज साहब ने इनसफीशिएंट ग्राउण्ड्स के आधार पर श्रीमती इन्दिरा गांधी को डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद शाह कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसको आने वाली सभ्यति जब पढ़ेगी तो हंसेगी। इसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान की एक असिस्टेंट टीचर (थर्ड ग्रेड), श्रीमती चन्द्रावती शर्मा को कुछ कांस्टीट्यूशनल प्राविजन्स के वायलेशन में वहां के चीफ मिनिस्टर ने सर्बिस से टर्मिनेट कर दिया। क्या कारण थे, वह अलग बात है। लेकिन वे लिखते हैं कि इसके लिए श्रीमती इन्दिरा गांधी जिम्मेदार थीं क्योंकि उनके ही वे चीफ मिनिस्टर थे। यह शाह कमीशन की रिपोर्ट कहती है।

एक और भी बड़े ताज्जुब की बात है। आपने सी आर पी सी पढ़ी होगी, ला आफ एविडेन्स पढ़ा होगा और आई पी सी भी पढ़ा होगा, अगर किसी के खिलाफ जुर्म बनता है तो कमीशन आफ आफेन्स उसका है न कि अगर कोई व्यक्ति उस आफेन्स को रास्ते चलते देख रहा हो तो वह भी मुलजिम बने। मुझे ताज्जुब हुआ यह देखकर कि

श्री राजीव गांधी इसलिए मुलजिम हैं कि जिस समय एअर डील हुआ—

“The case No. 15, regarding the purchase of three Boeing 737 aircraft by the Indian Airlines: “The Commission has pointed out that the manner in which the deal for the purchase of Boeing aircraft was pushed through suffers from several infirmities. The Commission has concluded that:

- (i) There has been a certain amount of avoidable haste in rushing through the deal ;
- (ii) the Commission has referred to the unusual presence of Capt. Rajiv Gandhi at a meeting in the Office of Shri A.H. Mehta, in which the proposed purchase of Boeing aircraft was being discussed”.

एक पायलट जिस एअर लाइन में सर्विस करता है अगर किसी काम से वह उस के आफिस में मौजूद है। He was not a stranger. He was serving in this very Indian Airlines and he was present there fortunately or unfortunately. He may be present in his office. आप कहते हैं कि चूंकि राजीव गांधी वहां मौजूद थे इसलिए वे भी मुल्जिम हैं। (व्यवधान) जिस शाह कमीशन की आप दुहाई देते हैं उसने इस तरह की फार्डिंग राज नेताओं के खिलाफ दी हैं। आप मुझे माफ करेंगे, आप विरोध पक्ष में बैठे हुए हैं, मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी भी राज नेता को आप परेशान करना चाहते हैं तो कितने ही झूठे केसेज दर्ज कर सकते हैं लेकिन यह आचरण उचित नहीं होगा। यदि श्रीमती इन्दिरा गांधी इसी बात को एप्लाय करनी चाहतीं तो कितने ही लोगों

पर यह एप्लाय हो सकता था लेकिन हमारी तो वह भावना ही नहीं है।

MR. CHAIRMAN: Ram Singhji, your time is over.

श्री राम सिंह यादव : इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री नाथू राम मिर्धा (नागौर) : माननीय सभापति जी, विशेष अदालतों का जो कानून बनाया गया था उसको हटाने के लिए यह बिल लाया गया है। जो रीजन्स यहां पर दिए गए हैं वह कोई ऐसे रीजन्स नहीं हैं जिनकी बिना पर अभी ऐसा करना जरूरी लगता हो। उस ऐक्ट में यह प्राविजन किया गया था कि ऊंचे ओहदों पर रहने वालों ने अगर कोई आफेन्स किया हो तो विशेष अदालत के जरिये से उनका ट्रायल जल्दी पूरा करवाया जा सकता है। इसका सम्बन्ध केवल इमर्जेंसी से ही नहीं है बल्कि आगे भी हमेशा के लिए होगा कि अगर कोई व्यक्ति ऊंचे ओहदे पर बैठ कर कोई गुनाह करता है और किसी कमीशन आफ इन्क्वायरी ने जांच करके प्राइमाफेसी आफेन्स को सही पाया है तो स्पेशल अदालत बिठा कर उसका ट्रायल करवाया जाए। यह जो कानून उस वक्त बनाया था, उस में क्या बुराई है और आप ने यहां पर संजय गांधी जी, इन्दिरा जी और सारे पुराने इतिहास को ला कर रख दिया और यह सोचने लगे कि जैसे यह सब कानून उन्हीं के लिए बना है। यह कानून तो हमेशा के लिए बना है और बहुत स्क्रूटिनी के बाद बना है और जैसा कि अभी इधर के एक माननीय सदस्य ने अपने भाषण में बताया था कि बहुत स्क्रूटिनी के बाद यह कानून बना था। तो अब इस कानून को हटाने को क्या जरूरत है।

SHRI RAM PYARE PANIKA:
Nothing is there. I have gone
through it. (Interruptions)

श्री नाथूराम मिर्धा : आप को कुछ पता नहीं है। आपको इस मामले का कोई ज्ञान नहीं है। इस लिए इस कानून को हटाने की जरूरत में नहीं समझता। आज आप सरकार में बैठे हैं और आपके खिलाफ अगर कोई स्पेशल कोर्ट बैठाना हो, तो बैठा सकते हैं। आप भी किसी के खिलाफ स्पेशल कोर्ट बैठा सकते हैं।

(व्यवधान)

SHRI RAM PYARE PANIKA:
Many of you have not gone through
it. You do not understand it.

MR. CHAIRMAN: Please take
your seat. He is not yielding.

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं यही निवेदन कर रहा था कि इस कानून को स्टेट्यूट बुक में रहने में क्या खतरा है, यह मैं नहीं समझ पाया। अगर किसी आदमी ने आगे किसी वक्त कोई अप्रॉक्स किया, तो स्पेशल कोर्ट बैठा सकते हैं। यह कानून सिर्फ इमर्जेंसी के लिए नहीं बना था, आगे भी इमर्जेंसी के लिए नहीं है। यह तो सब समय के लिए है। ऊंचे पद पर बैठ कर अगर कोई आदमी अप्रॉक्स करता है और उसके खिलाफ जल्दी कार्यवाही करनी हो, तो इस कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है। यह इतना सिम्पल कानून है और इसको आप क्यों हटाना चाहते हैं। यह कानून जनता पार्टी के समय बना, क्या इसी लिए इसको हटाना चाहते हैं? एक ही तो कानून यह बना था और उसको क्यों हटाना चाहते हो। इसको हटाने के लिए कोई ग्राउण्ड नहीं है और सिर्फ इन्दिरा गांधी का नाम ले ले कर आप उनका पेट्रोनेज चाहते हैं और यह दिखाना

चाहते हैं जैसे कि आप उनके बड़े स्वामी भक्त हैं। सब गमत बहस पुराने इतिहास को लेकर आप कर रहे हैं। मैं होम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे इस पर गहराई से विचार करें कि इस कानून को हटाने की कोई जरूरत नहीं है। इस देश में कभी कोई ऊंचे पद पर बैठा हुआ आदमी अगर कोई अप्रॉक्स करे और उसका ट्रायल जल्दी करवाना हो, तो इस कानून के अन्तर्गत हो सकता है। अगर कोई ऐसा करता है, तो बाद में फिर आप इस तरह का कानून बनायें, तो उससे क्या फायदा होगा। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इस पर आप गहराई से विचार करें। यह कानून किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं था। यह इमर्जेंसी या किसी पार्टीकुलर बक्त के लिए भी नहीं है। यह तो हमेशा के लिए बना है और सरकार जिस समय इसका उपयोग करना चाहे, कर सकती है। इसलिए आप इस पर गहराई से विचार करें, यही मेरी आप से प्रार्थना है। इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

SHRI K. MAYATHEVAR: Mr. Chairman, I rise to support this Bill which is being introduced to repeal the Special Courts Bill of 1979. I am wondering why the opposition party members are opposing the repeal of this Bill, even though I am also an opposition member. (Interruptions)

15-53 hrs.

[MR. SPEAKER in the Chair]

After all, if anybody is going to be benefited by the repeal of this Bill.. (Interruptions) not the Ruling party people—it is the opposition parties which are going to enjoy the fruit and benefit of this repeal of this Bill. Therefore, I am wondering why they

are opposing it. I am supporting this Bill.

In 1979, I was present in the House when the Special Court Bill was passed by the Janata Government. When that was introduced in the House for passing, I was one of the opposition members along with Congress (I) leaders and other able speakers who opposed that Bill, undemocratic Bill, unconstitutional Bill tooth and nail, with all my command, as a double-barrelled gun. The object of the double-barrelled gun of the Special Courts Bill was directed against no less a person than the present Prime Minister and the former Prime Minister and the future Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi. The whole aim of the Bill was to send her out, to drop Mrs. Indira Gandhi, to destroy Mrs. Indira Gandhi from the Indian political scene.

That is why at that time in 1979 also I was opposing. Our Hon. Members from various Parties in the Opposition were commenting much on democracy and Parliamentary democracy also. I was feeling like laughing. I could not laugh, because, at that time I was sitting with them. In the Janata Government when hon'ble, the then Prime Minister of India, Mr. Morarji Desai introduced that motion for punishing the hon'ble the present Prime Minister, when she was sitting here, as his daughter, this Hon. House, the supreme sovereign body of the Indian democracy was converted and reduced to the pitiable status of a Sub-Magistrate's court or a criminal court. It is very awkward under the Indian Parliamentary sovereignty and democracy, that the people of India convicted Shrimati Indira Gandhi. This Parliament, the supreme body, was converted into an ordinary petty criminal court. She was imprisoned by this Hon'ble House! Such people are talking much, raising their voice about democracy! I could not laugh. But I must laugh at them because of their mockery of democracy and their speeches are directed towards a mockery of democracy.

Sir, they have filed a charge-sheet. Some Hon. Members talked—Dr. Subramaniam Swamy, is my close friend and associate in the past also. I expected that he would be present. He will be coming now. He said that Mrs. Gandhi, the Hon. Prime Minister should not inform the dignitaries of foreign countries, whenever they come for interviews with the Prime Minister, that the Janata Government filed a charge-sheet of committing a theft of chickens against here somewhere else. Why not? Are you not petty minded people to frame a charge and bring such a criminal charge against a former Prime Minister of India alleging that she committed a theft of some chickens? Is it not foolish on your part? Is it not non-sensational on your part? You can bring charges of treason, you can impeach her. That is a different matter. But you were alleging a theft of chicken against Shrimati Indira Gandhi, and the whole people of India laughed at you. They laughed at you, and criticised you. You could have brought better charges, either false or true. That is a different matter. That is immaterial. But you brought 'chicken' charges against Prime Minister Indira Gandhi. Therefore, your motive was very bad and awkward so far as this Bill is concerned, that is why this is repealed now. You must be proud that Shrimati Indira Gandhi is nobler than you. The Congress Government is better than you. They are better than you and you must be thankful that they have nothing towards you and I. That is why this Act is being repealed. Otherwise, no wonder, you would have been put behind the bars by this Special Courts Act itself. Therefore, you must be thankful to the Government of India headed by Mrs. Indira Gandhi for repealing this unparliamentary, illegal Act and everything.

(*Interruptions*)

AN HON. MEMBER : Unparliamentary!

SHRI K. MAYATHEVAR : This political vengeance must be suspended, stopped and dropped. I do not advocate any political vengeance against this Party or that Party or any leader. You should not have any political vengeance.

At that time in November 1979, I pleaded with Mr. Morarji Desai, that he must treat Shrimati Indira Gandhi as his daughter and not as a political opponent. I told him, "If you convict and expel her from this House, you will be thrown from the Parliament within seven months. She is going to be the next Prime Minister." That is what I told in November 1979. Everything has happened. I am not a philosopher. I am not an astrologer....*(Interruptions)* I am an ordinary common human being. But I was talking, by my independent merit, truth. I mentioned the truth. I talked honestly. I defended honestly the grand daughter of Shri Moti Lal Nehru, and the daughter of the former Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru for justice. Everything happened in the political arena. Finally, the Janata Government was thrown out of power because of their undemocratic way of disposing of things.

Mr. Swamy was talking of opposing Emergency. I want emergency: although the DMK Party was suppressed very badly, materially suppressed by the Emergency, I now, want Emergency because then the prices would be reduced. Smugglers were let loose by the Janata Government. Now they are not arrested even though we are having the National Security Act. In Tamil Nadu, poor men, rikshaw-walas, coolies, workers in the factories, rural people, agricultural workers, are unable to earn their bread because the prices are going up. They are

unable to contain the price line. Therefore, I want the Emergency. But this should not be directed against the political opponents, against Mayathevar, Mr. Yadav or any political leader like Prof. Madhu Dandavate. It should be directed against black-marketeers, hoarders, smugglers and like that.

16-00 hrs.

We have the Commission of Inquiry Act. Under this Act, the commissions are appointed to act as fact finding committees. The inquiry commissions should act like special courts. I request that the Commission of Inquiry Act should be amended. The commissions should be invested with powers to punish the accused. Now they submit only reports to the Government. Justice delayed is justice denied. Through these commissions, robbers, black-marketeers, smugglers and political sharks are escaped. Whatever may be the public office that they hold, the corrupt politicians whether they are Chief Ministers, MLAs, MPs, Ministers including all the Ministers of this Government as well as other Governments should be punished. Although I support this Bill, I want the Inquiry Commission Act to be amended to punish corrupt politicians in this country. Then only we can have honest political leaders and political parties. With this, I support the Bill.

16-01 hrs.

DISCUSSION ON THE STATEMENT OF MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILISERS *RE* TRANSACTION RELATING TO PURCHASE OF H.S. D. FROM MESSERS KUO OIL.

MR. SPEAKER : Before I call upon Shri Atal Bihari Vajpayee to raise discussion on the statement made by the Minister of Petroleum, Chemicals and Fertilizers today regarding